राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 92/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेन्टर इण्डिया लि0) प्रधान कार्यालय– मेन्टर हाऊस, गोविन्द मार्ग सेठी कॉलोनी, जयपुर	**बनाम**	1. श्री मदन लाल शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा निवासी प्लॉट नंबर 79, जाटों का मोहल्ला, ग्राम गिर्डिया, ग्राम पंचायत सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा 2. श्रीमती मंजू देवी पत्नि मदन लाल शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा निवासी प्लॉट नंबर 79, जाटों का मोहल्ला, ग्राम गिर्डिया, ग्राम पंचायत सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी – श्री सतीश गौतम।

निर्णय

दिनांक : 17.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि0 प्रधान कार्यालय– मेन्टर हाऊस, गोविन्द मार्ग सेठी कॉलोनी, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को कुल 4,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 24.02.2017 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति रहन रखी गयी – पट्टा नंबर 18, ग्राम गिर्डिया, ग्राम पंचायत सालेरा, पंचायत समिति सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा, क्षेत्रफल 783 वर्गफीट में स्थित है जो श्री मदन लाल पुत्र बंशीलाल शर्मा के नाम पर है (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार)। दिनांक 30.01.2020 तक कुल बकाया ऋण की राशि 5,39,199/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 20.10.2019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।